

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 221] No. 221] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2019/ज्येष्ठ 31, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2019/JYAISTHA 31, 1941

फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान

अध्यादेश

नई दिल्ली, 21 जून, 2019

- फा. सं. एफडीडीआई/एचओ/एमडीओ/सीओपी(डीपी)/2019/044.—सिनेट, फुटवियर डिजाइन और विकास अधिनियम, 2017 (2017 का 20) की धारा 28 के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, अर्थात:—
- 1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रांरभ.—(1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अध्यादेश, 2019 है।
- (2) ये फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान और इसके परिसरों पर लागू होंगे।
- (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएँ.—(1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,
 - (क) "अधिनियम" से फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 20) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "शैक्षणिक" से शिक्षण, अध्ययन, व्यवहार एवं अनुसंधान से संबंधित क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं ;
 - (ग) "एक शैक्षणिक कैलेंडर" में विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों की तारीखें सम्मिलित हैं;
 - (घ) "एक शैक्षणिक मैनुअल" से ऐसे शैक्षणिक मामलों में नियमों और विनियमों का संकलन अभिप्रेत है ;
 - (ड.) "एक शैक्षणिक कार्यक्रम" में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अग्रसर शैक्षणिक क्रियाकलापों का क्रम सम्मिलित है ;
 - (च) "एक शैक्षणिक वर्ष" से ग्रीष्म कालीन अवकाश के साथ दो नियमित सेमेस्टर अभिप्रेत है ;
 - (छ) "उपाबंध" से इन अध्यादेशों से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत हैं ;

2991 GI/2019 (1)

- (ज) "अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति, जो संस्थान के किसी भी पोस्ट-डॉक्टोरल, डाक्टोरल, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, अभिप्रेत है ;
- (झ) "प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत संस्थान द्वारा एक वर्ष की अवधि तक के प्रस्तावित किए गए किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम से है ;
- (ञ) "दीक्षांत समारोह" से संस्थान का दीक्षांत समारोह अभिप्रेत है;
- (ट) "पाठ्यक्रम" में उन विषयों का क्रम शामिल है जिन्हें एक सेमेस्टर के दौरान पूरा किया जाएगा ;
- (ठ) " कार्यक्रम के पाठ्यक्रम" से पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का एक विनिर्दिष्ट सेट अभिप्रेत है ;
- (ड़) "डिग्री" से डॉक्टर ऑफ फिलास्फी, मास्टर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन या संस्थान द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अभिप्रेत है :
- (ढ़) "चयनात्मक" से विशेषीकृत क्षेत्र में विकल्पों के बीच प्रस्ताव किया गया विषय अभ्रिप्रेत है ;
- (ण) "परीक्षा" से किसी छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया अभिप्रेत है ;
- (त) "ग्रेड" से किसी कार्यक्रम या सेमेस्टर में किसी छात्र के समग्र प्रदर्शन को इंगित करने वाला ग्रेड अभिप्रेत है ;
- (थ) "संस्थान" से फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अभिप्रेत है ;
- (द) "ज्यूरी" से पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार सेमेस्टर के दौरान और अंत में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए संकाय सदस्यों और बाहरी विशेषज्ञों का एक पैनल अभिप्रेत है ;
- (ध) "परिनियम" से संस्थान का परिनियम अभिप्रेत है ;
- (न) "छात्र" से संस्थान में यथास्थिति डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पूर्णकालिक या अंशकालिक, किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्र अभिप्रेत हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इन अध्यादेशों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं परंतु जिन्हें अधिनियम या परिनियम में परिभाषित किया गया है उन शब्दों और पदों का अर्थ वही होगा जिनको क्रमश: अधिनियमों या परिनियमों में समनुदेशित किया गया है।
- 3. शैक्षणिक कार्यक्रम.—संस्थान परिनियम 14 में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न स्कूलों में
 - (क) उपाधि; या
 - (ख) डिप्लोमा; या
 - (ग) प्रमाणपत्र, प्रदान करने वाले विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव करेगा।
- 4. कार्यक्रमों की अवधि.—(1) डॉक्टरेट कार्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष का होगा और इसकी अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।
 - (2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष होगी।
 - (3) स्नातक के पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्ष की होगी।
 - (4) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी।
- 5. संस्थान में छात्रों के प्रवेश के लिए.—(1) स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों की पात्रता निम्नानुसार होंगी, अर्थात्-
- (अ) कोई अभ्यर्थी जिसने निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है:
- (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 , किसी भी विषय में, या
- (ख) भारत में किसी स्कूल या बोर्ड या विश्वविद्यालय परीक्षा या विदेश में भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 प्रणाली के यथा समतुल्य ; या
- (ग) न्यूनतम पांच विषयों के साथ राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा संचालित स्कूल परीक्षा; या

- (घ) किसी भी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कक्षा दसवीं के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित तीन साल पूर्ण कालिक डिप्लोमा; या
- (आ) कोई अभ्यर्थी, जो खंड (अ) के अधीन निर्दिष्ट किसी डिग्री के लिए किसी भी परीक्षा में उपस्थित रहे हों और जिनका परिणाम, प्रवेश के समय घोषित न हुआ हो, वह भी स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होगें और चयनित हो जाने पर ऐसे उम्मीदवार को अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा परिणाम को संबंधित वर्ष के सितंबर माह के 30वें दिन या इसके पहले प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल होने पर उम्मीदवार का प्रवेश रद्द किया जा सकेगा।
- (इ) बैचलर कार्यक्रम के लिए आयु सीमा प्रवेश चाहे गए शैक्षणिक वर्ष की 1 जुलाई को पच्चीस वर्ष होनी चाहिए।
- (2) स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए पात्रता .- अ (क) मास्टर ऑफ डिजाइन (फुटवियर डिजाइन और प्रोडक्शन) फुटविअर या लेदर गुड्स और उपसाधन डिजाइन या डिजाइन या इंजीनियरिंग या उत्पादन या प्रौद्योगिकी में स्नातक
- (ख) मास्टर ऑफ डिजाइन (कंप्यूटर से सहायता प्राप्त डिजाइन) फुटविअर या लेदर गुड्स और उपसाधन डिजाइन या डिजाइन या इंजीनियरिंग या उत्पादन या प्रौद्योगिकी या ललित कला में स्नातक की डिग्री
- (ग) मास्टर ऑफ बिजनेस एडिमिनिस्टेशन (फुटकर और फैशन पण्य वस्तु) .- किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री।
- (आ) कोई अभ्यर्थी, जो खंड (अ) के अधीन निर्दिष्ट किसी भी डिग्री के लिए किसी भी परीक्षा में उपस्थित रहे हों और जिनका परिणाम, प्रवेश के समय घोषित न हुआ हो, तो भी वह स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होगें और चयनित हो जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा के परिणाम को संबंधित वर्ष के सितंबर माह के 30 वें दिन या उससे पहले प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उम्मीदवार का प्रवेश रद्द किया जा सकेगा।
- (3) डॉक्टरल कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) (पीएचडी) .- अ (क) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री के समतुल्य है, पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते कि डिग्री की समतुल्यता को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटिज या किसी अन्य कानूनी निकाय से मान्यता हो ; या

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री जो सेकेंडरी (कक्षा दसवीं) के बाद न्यूनतम सात साल की शिक्षा हो जिसमें अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री या उपर्युक्त का हो ।

- (ख) स्नातकोत्तर डिग्री में जहां लेटर ग्रेड प्रदान किया जाएगा वहां 10 पांइट स्केल में 6.0 (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 5.5) न्यूनतम संचयी ग्रेड पाइंट औसत (सीजीपीए) या अंक प्रदान किए जाने हैं वहां कुल अंक 55 प्रतिशत (अजा और अजजा के लिए 50 प्रतिशत) (सभी वर्षों अथवा सेमेस्टरों के लिए) किया जाएगा।
- आ. ऐसे अभ्यर्थी जो नियोजित है, के लिए उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अलावा, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता से " "अनापत्ति" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी ।
- इ. कोई अभ्यर्थी, जो खंड अ (क) में निर्दिष्ट उक्त डिग्री के लिए किसी भी परीक्षा में उपस्थित रहा हो और जिसका परिणाम, प्रवेश के समय घोषित न हुआ हो, वे भी डाक्टोरल कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होगें और चयनित हो जाने पर ऐसे उम्मीदवार को अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा के परिणाम को संबंधित वर्ष के सितम्बर माह के 30 वें दिन या इसके पहले प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल होने पर अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द किया जा सकेगा।
- (4) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता (क) पर्यवेक्षी पाठ्यक्रम

उम्मीदवार जिसने निम्नलिखित उत्तीर्ण किया हो -

- (क) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में 10 + 2 ; या
- (ख) भारत से अथवा विदेश में भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल या बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10 + 2 प्रणाली के यथा समतुल्य या;
- (ग) नेशनल ओपन स्कूल द्वारा न्यूनतम पांच विषयों में संचालित स्कूल परीक्षा;

- (ख) कार्यकारी विकास कार्यक्रम: -
 - (क) कोई अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उत्तीर्ण किया है ; और
 - (ख) संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव हो।
- 6. प्रवेश प्रक्रिया.—(i) संस्थान के सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्थान की वेबसाइट सहित प्रिंट और अन्य मीडिया में व्यापक प्रचार किया जाएगा।
 - (ii) स्नातक की डिग्री और मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रवेश, संस्थान या संस्थान द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर होगा ।
 - (iii) डाक्टर ऑफ फिलास्फी में प्रवेश परीक्षण या साक्षात्कार के माध्यम से संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चयन के आधार पर किया जाएगा
 - (iv) प्रमाणपत्र कार्यक्रम में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- 7. प्रवेश में सीटों के आरक्षण.—(1) विकलांग सहित आरक्षण में प्रवेश को (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी (दिव्यांगजन) को समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।
- (2) पीडब्ल्यूडी कोटा के अधीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।
- (3) किसी विशेष कार्यक्रम के लिए विशिष्ट शारीरिक एवं बौद्धिक अपेक्षाओं के अनुसार विशेष कार्यक्रम के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करने के पश्चात अभ्यर्थियों को कार्यक्रम आंबटित किए जाएंगे।
- (4) दिव्यांगता का आकलन एक समिति द्वारा किया जाएगा और इसके पश्चात कार्यक्रम आंबटन किया जाएगा।
- (5) दिव्यांग श्रेणी के अधीन आरक्षण चाहने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आकलन अनिवार्य होगा।
- (6) किसी विशेष कार्यक्रम के लिए उपयुक्त न पाए जाने पर संस्थान उम्मीदवार को अयोग्य करार दे सकता है।
- (7) मानक दिव्यांग वाले व्यक्तियों को प्रवेश के लिए उच्च आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी ।
- 8. अप्रवासी भारतीयों या भारतीय उद्योग द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को प्रवेश.—(1) किसी शैक्षणिक वर्ष में घोषित सीटों के अलावा प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम में घोषित सीटों का दस प्रतिशत अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों और भारतीय उद्योग द्वारा प्रयोजित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (2) किसी शैक्षणिक वर्ष में इस श्रेणी के तहत बची हुई रिक्त सीटों को किसी अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से नहीं भरा जाएगा और उस सत्र में वे सीटें रिक्त रहेंगी।
- (3) इस प्रायोजित श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण से गुजरना आवश्यक होगा और इसे सफलतापूर्वक अर्हित करने पर प्रवेश दिया जाएगा ।
- (4) ऐसे प्रायोजित अभ्यर्थियों को कार्यक्रम और कैम्पस का आंवटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा ।
- (5) प्रायोजित अभ्यर्थियों से फीस उपाबंध-II के अनुसार ली जाएगी ।
- 9. सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को प्रवेश : (1) किसी शैक्षणिक वर्ष में घोषित सीटों के अलावा प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम में घोषित सीटों की दस प्रतिशत सीटें सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) द्वारा प्रयोजित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी।
- (2) किसी शैक्षणिक वर्ष में , यदि किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में उपलब्ध सभी नियमित सीटें नहीं भरी जाती हैं और सरकार उन नियमित रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों प्रायोजित करना चाहती है तो संस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित इन अभ्यर्थियों को प्रवेश का प्रस्ताव दे सकता है।
- (3) किसी शैक्षणिक वर्ष में इस श्रेणी में बची हुई रिक्त् सीटों को किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और वे सीटे पूरे सत्र के दौरान रिक्त रहेंगी।
- (4) उन प्रायोजित अभ्यर्थियों को कार्यक्रम और कैम्पस का आंवटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- (5) प्रायोजित अभ्यर्थियों से फीस उपाबंध-II में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार ली जाएगी ।

10. शैक्षणिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का नामांकन.—(1) प्रत्येक छात्र जिसे संस्थान में कार्यक्रम में प्रवेश का प्रस्ताव दिया जाएगा उसे कार्यक्रम शुरू होने के 60 दिनों के भीतर प्रवेश विभाग को यथा अपेक्षित शैक्षणिक प्रमाणपत्र और दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकेगी:

परन्तु शर्त यह है कि आपवादिक परिस्थितियों में छात्र या उसके अभिभावक के लिखित अनुरोध पर, जिसमें विलम्ब के कारणों का उल्लेख हो, उक्त अविध को मामला दर मामला आधार पर संबंधित कार्यकारी निदेशक द्वारा सात दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- (2) प्रवेश प्रस्ताव वाले प्रत्येक छात्र को अपनी सीट आरक्षित करने के लिए स्पॉट पर ही फीस अदा करना अपेक्षित होगा और उक्त अदा राशि को छात्र से देय शुल्क में समायोजित किया जाएगा ।
- (3) सीट आरक्षित करने के दस दिनों के भीतर या कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व, जो भी पहले हो, शासी परिषद द्वारा अनुमोदित और संस्थान द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार छात्र को ट्यूशन एवं अन्य फीस और जमा का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- (4) फीस एवं जमा की अदायगी और सभी आज्ञापक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, संस्थान छात्र को नामांकन सं. उपलबध कराएगा।
- (5) नामांकन संख्या संबंधित छात्र की संस्थान के सभी अभिलेखों में स्थाई संदर्भ संख्या होगी।
- 11. ट्यूशन और अन्य फीस तथा जमा.—(1) छात्र से यथा लागू ट्यूशन फीस, अन्य फीस और जमा प्रभारित किए जाएंगे।
- (2) सेमेस्टर शुरू होने से पहले पूरी फीस अदा की जाएगी
- (3) अपवादिक परिस्थितियों में मामला दर मामला आधार पर संबंधित संस्थान कैम्पस के कार्यकारी निदेशक द्वारा फीस अदायगी के लिए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
- (4) सेमेस्टर शुरू होने से पहले या संबंधित कार्यकारी निदेशक द्वारा अनुमोदित ऐसी तारीख तक यदि फीस अदा नहीं की जाती है तो विद्यार्थी को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (5) एक बार जमा की गई सेमेस्टर फीस वापस नहीं की जाएगी।
- (6) अभ्यर्थी से उपाबंध-II के अनुसार फीस प्रभारित की जाएगी।
- (7) सभी जमा या फीस की अदायगी आंबटित कैम्पस में फुटवियर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीटयूट के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या आनलाइन ट्रांसफर द्वारा अदा की जाएगी।
- (8) जो छात्र संस्थान को कोर्स के मध्य से छोड़ता है या उसे किसी कारण से संस्थान छोडने के लिए कहा जाए तो वह प्रतिदेय प्रतिभूति जमा की राशि के अलावा फीस के प्रतिदाय का पात्र नहीं होगा ।
- 12. छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति एवं छुट्टी.—(1) किसी प्रत्येक निर्धारित लैक्चर, ट्यूटेरियल; प्रेक्टिकल क्लास में प्रत्येक कक्षा के शुरू होने से पहले रालॅ कालॅ की जाएगी ताकि विशेष कार्यक्रम की उपस्थिति का अभिलेख रखा जा सके।
- (2) शैक्षणिक कार्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी को सभी अनुसूचित लैक्चर, ट्यूटोरियल, प्रेक्टिकल क्लॉस में भाग लेना अपेक्षित होगा।
- (3) सेमेस्टर की परीक्षाओं में बैठने के पात्र होने के लिए छात्र को प्रत्येक कोर्स या विषय में न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना होगा :

बशर्ते की संबंधित कार्यकारी निदेशक किसी विशेष सेमेस्टर में कोर्स या विषय में 10 प्रतिशत तक अधिकतम 20 प्रतिशत, की छूट दे सकता है।

- (4) कार्यकारी निदेशक मामला दर मामला आधार पर और केवल छात्र के नियंत्रण से बाहर आपात स्थिति या आकस्मिता के मामले में लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात खण्ड (3) के तहत छूट दे सकता है।
- (5) छात्र को उपस्थिति में छूट का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

- (6) इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार छूट के साथ या उसके बिना जो छात्र न्यूनतम उपस्थिति को पूरा नहीं करता है, तो उसे इस कोर्स या विषय में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाएगा जिसमे उसकी उपस्थिति कम है।
- (7) अध्यादेश 18 के उपबंधों के अनुसार किसी कोर्स या विषय में विशेष शैक्षणिक वर्ष के किसी सेमेस्टर के पूरा होने के बाद छात्र को पुन: परीक्षा में बैठने की अनुमित दी जा सकेगी :

बशर्ते कि किसी विशेष सेमेस्टर में किसी विषय में छूट के साथ या छूट के बिना उपस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी है तो उस छात्र को पुन: परीक्षा का अवसर दिए बिना किनष्ठ बैच के साथ वह वर्ष पुन: पूरा करने को कहा जाएगा ।

(8) (i) छुट्टी – कोई छात्र आकस्मिकताओं और अन्य प्रतिबद्धताओं की स्थिति में छुट्टी ले सकता है और नीचे दी गई सारणी के अनुसार इसे अनुमोदित किया जाएगा, अर्थात् :-

क्र. सं.	छात्र द्वारा ली गई छुट्टी	सक्षम प्राधिकारी	टिप्पणियां
1.	<_ 15 दिन	विभागाध्यक्ष	केवल पूर्व सूचना से
2.	> 15 दिन	कार्यकारी निदेशक	केवल पूर्व सूचना से

- (ii) छुट्टी संबंधी चेतावनी–कम उपस्थिति वाले छात्र या उसके माता–पिता को संबंधित कोर्स के समन्वयक या विभागाध्यक्ष द्वारा समय – समय पर ई–मेल, फोन या संचार के किसी अन्य तरीके से सूचित किया जाएगा ।
- (iii) अनिधकृत छुट्टी अर्थात् बिना सूचना या स्वीकृति के अनुपस्थिति : जो छात्र बिना अधिकृत स्वीकृति के अनुपस्थित रहेगा उस पर संस्थान के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कारण से दो सप्ताह से अधिक समय तक छात्र के अनिधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर उसे संबंधित सेमेस्टर या कोर्स से विवर्जित किया जा सकता है।
- 13. छात्रों का अनुशासन.—(1) छात्र से हर समय अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है;
- (2) निम्नलिखित कृत्यों को न करना या करना अनुशासनहीनता मानी जाएगी, अर्थात् :-
- (क) जानबूझकर या असावधानी से संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या विकृत करना या तोड़ फोड़ करना ।
- (ख) संस्थान के परिसर के भीतर संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक, खेल–कूद, सामाजिक या अन्य कार्यकलापों में अनुचित व्यवधान।
- (ग) कैम्पस में या संस्थान से संबंधित किसी क्रियाकलाप में शामिल होते समय हिंसक, अभद्र, विच्छृखंल, धमकी या आक्रामक भाषा या व्यवहार ।
- (घ) संस्थान या संस्थान से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लिप्त होने पर कपट, प्रवंचना, छल या बेईमानी करना।
- (ड.) कक्षा में या परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन और अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक गैजेट का अप्राधिकृत उपयोग :

परन्तु शर्त यह है कि, मोबाइल फोन सहित किसी इलेक्ट्रोनिक युक्ति का उपयोग संकाय द्वारा अधिकृत शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

- (च) किसी भी प्रकार की रैगिंग या आचार संहिता का उल्लंघन और रैगिंग में लिप्त होना ।
- (छ) धूम्रपान, तम्बाकू चबाना, पान, गुटका, मादक पदार्थों या किसी ऐसे उत्पाद का संस्थान के परिसर में उपयोग ।
- (ज) परीक्षा में किसी तरह की साहित्यिक चोरी, नकल करना या छल।
- (3) (क) संबंधित कैम्पस के कार्यकारी निदेशक द्वारा एक अनुशासनात्मक समिति गठित की जाएगी और किसी छात्र से संबंधित किसी भी मामले को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष शास्ति देने के लिए सिफारिश करते हैं, अग्रेषित किया जाएगा।
- (ख) अनुशासनात्मक समिति की संस्तुति के आधार पर विभागाध्यक्ष मामूली शास्ति आरोपित कर सकते हैं और, ऐसी शास्ति के विरुद्ध छात्र कार्यकारी निदेशक के समक्ष अपील कर सकता है ।
- (ग) खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुशासनात्मक सिमिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यकारी निदेशक भारी या मामूली शास्ति आरोपित कर सकते हैं और उक्त शास्ति से असंतुष्ट कोई भी छात्र प्रबंध निदेशक के समक्ष अपील कर सकता है।

- (4) मामूली शास्ति : (क) छात्र अनुशासन के किसी उल्लंघन पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना ।
- (ख) संपत्ति को नुकसान पहुँचने या क्षतिग्रस्त होने पर नुकसान या झगड़े की स्थिति में चिकित्सा व्यय पर हुए खर्चे की लागत की वसूली।
- (ग) परिनिंदा या चेतावनी प्रथम अपराध के लिए चेतावनी अभिलिखित नहीं की जाएगी और बार-बार अपराध करने पर चेतावनी अभिलिखित की जाएगी और उसके लिए बडी शास्ति देकर कार्रवाई की भी जा सकती है।
- (5) बडी शास्ति **-** (क) संस्था से निष्कासन ।
 - (ख) विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए निलम्बन।
 - (ग) अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने पर रोक।
 - (घ) प्लेसमेंट सेवाएं वापस लेना।
 - (ङ) कनिष्ठ बैच के साथ पाठ्यक्रम फिर से करना।
- 14. शैक्षणिक कैलेंडर.—संस्थान के प्रमुख (शैक्षणिक) का कार्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के आरंभ में सभी कैम्पसों में सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेगा और अंतिम रूप देगा तथा इसे सिनेट के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
- **15. छात्र अभिलेखों का रख-रखाव.**—(1) संस्थान कैम्पस का प्रशिक्षण एवं परीक्षा विभाग संबंधित कैम्पसों में शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत फाइल रखेंगे और यह व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
- (2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत फाइल में निम्नलिखित निहित होगा -
 - (i) छात्र द्वारा प्रवेश के समय भरा गया व्यक्तिगत डाटा ;
 - (ii) माता-पिता और स्थानीय अभिभावक संबंधी जानकारी ;
 - (iii) प्रवेश के समय प्रस्तुत चिकित्सीय पूर्ववृत्त और स्वस्थता प्रमाण-पत्र ;
 - (iv) छात्र द्वारा प्रस्तुत सभी वचन-पत्र;
 - (v) छात्र को जारी किए गए किसी भी प्रकार का चेतावनी पत्र या ज्ञापन इत्यादि की प्रतिलिपि ;
 - (vi) छात्र या माता-पिता या अभिभावक के साथ किया गया पत्राचार, यदि कोई हो;
 - (vii) छात्र को जारी सभी मूल्यांकन ग्रेड शीट और शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट की प्रतिलिपि;
 - (viii) फीस के भुगतान सहित हॉस्टल में प्रवेश का अभिलेख ;
 - (ix) संस्था की फीस के भुगतान का अभिलेख;
 - (x) छात्र के अध्ययन एवं कैम्पस जीवन काल से सुसंगत ऐसी समस्त जानकारी।
- **16. परीक्षा एवं मूल्यांकन.**—(1) अध्ययन के सेमेस्टर के दौरान परीक्षा में कोई परीक्षण या उपयोग में लायी गयी मूल्यांकन पद्धित सम्मिलित होगी।
- (2) छात्रों का मूल्यांकन मानदंड सतत मूल्यांकन, मध्य सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रैक्टिकल, असाइनमेंटस, निर्णायक समिति, कौशल परीक्षण, प्रस्तुतीकरण और अन्य योगात्मक प्रणाली के द्वारा होगी।
- (3) डिग्री प्रदान करने के लिए सभी कार्यक्रमों को परीक्षा लागू होगी।
- (4) संस्थान के सभी संस्थान कैम्पस में सभी परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक की होगी।
- (5) संस्थान के सभी कैम्पसों में उप परीक्षा नियंत्रक अपने-अपने संस्थान कैम्पसों में संबंधित कार्यकारी निदेशक के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

- (6) परीक्षा नियंत्रक या उप-परीक्षा नियंत्रक अधीक्षकों की नियुक्ति करेंगे और संबंधित संस्थान कैम्पसों के कार्यकारी निदेशकों के परामर्श से परीक्षाओं के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
- (7) परीक्षा नियंत्रक विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करेंगे।
- (8) मूल्यांकन प्रणाली- किसी विशेष पाठ्यक्रम या विषय में छात्र का मूल्यांकन परीक्षा या मूल्यांकन में मूल्यांकित उसके निष्पादन भारांक के आधार पर निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :-

(क)

क्र.सं.	मूल्यांकन के मापदण्ड	प्रतिशत में थ्योरी के लिए भारांक
(क)	असाइनमेंट या प्रस्तुतीकरण	20
(ख)	मध्यावधि परीक्षा	20
(ग)	अंतिम परीक्षा	60

(ख)

क्र.सं.	मूल्यांकन मापदण्ड	प्रतिशत में प्रैक्टिकल के लिए भारांक
(ক)	प्रयोगशाला में मूल्यांकन	60
(ख)	मौखिक-परीक्षा या अंतिम मूल्यांकन	40

- (9) डिग्री प्रदान किए जाने के लिए पात्रता प्राप्त करने लिए , किसी छात्र द्वारा प्रत्येक विषय को उत्तीर्ण करना और औसत 6 न्यूनतम संचयी ग्रेड अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (10) इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार यदि कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम या विषय में उत्तीर्ण नहीं हो पाता , तो उसे पुन: परीक्षा के लिए प्रस्तुत होना अपेक्षित हो सकेगा ।
- (11) परिणामों में सुधार कार्यकारी निदेशक किसी भी अभ्यर्थी के परिणामों को वापस ले सकता है , -
- (i) यदि छात्र सेमेस्टर परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण अनर्ह घोषित किया गया हो और ऐसे मामले में छात्र को पुन: परीक्षा में प्रस्तुत होने के लिए कहा जाएगा ;
- (ii) छात्र पुन: परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण अनर्ह घोषित किया गया हो और ऐसे मामले में छात्र को शैक्षणिक वर्ष फिर से पूरा करने के लिए कहा जाएगा ;
- (iii) छात्र के परिणाम में कोई त्रुटि पाई जाती है और ऐसे मामले में त्रुटि सुधार किया जाएगा और तदनुसार, परिणाम पुन: घोषित किया जाएगा ।
- (iv) यदि छात्र या अभिभावक द्वारा परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन के लिए लिखित में आवेदन किया गया हो तो ऐसे मामले में, कार्यकारी निदेशक पन्द्रह दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन कराएंगे और तदनुसार परिणाम घोषित कराएंगे।
- (v) किसी छात्र को किसी विशिष्ट परीक्षा में केवल एक बार ही पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी जाएगी।
- (12) अंक सूची जारी करना (1) संस्थान सभी छात्रों को अंक सूची जारी करेगा।
- (2) छात्र को संबंधित कैम्पस से कागज की या डिजीटल फॉरमेट में सेमेस्टर–वार अंक सूची जारी की जाएगी।
- (3) छात्रों को पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात प्रमुख कार्यालय से अंकों की समेकित विवरणी जारी की जाएगी।
- 17. पदोन्नति.—(1) सेमेस्टर या वर्ष के लिए कोई छात्र की प्रोन्नति निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-
- (क) आगामी वर्ष में प्रोन्नति के लिए छात्र को विशेष शैक्षणिक वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों या विषयों को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा ।
- (ख) यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर में अपेक्षित उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में असफल रहता है या उपस्थिति में कमी के कारण या दोनों मामलों में छात्र की 50 प्रतिशत विषयों में पुन: परीक्षा होती है तो आगामी शैक्षणिक वर्ष में उसे जूनियर बैच के साथ वर्ष की पुनरावृत्ति करनी होगी।

(ग) (i) आबंटित संपूर्ण शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दौरान छात्र के समग्र प्राप्तांकों के आधार पर छात्र को निम्नानुसार ग्रेड दिए जाएंगे, अर्थात् : -

क्र.सं.	ग्रेड	संक्षिप्ताक्षर	अंकों का वर्गीकरण	ग्रेड अंक
(i)	उत्कृष्ट	इ एक्स	90-100	10
(ii)	बहुत अच्छा	ए	80-89	9
(iii)	अच्छा	बी	70-79	8
(iv)	उचित	सी	60-69	7
(v)	औसत	डी	50-59	6
(vi)	उत्तीर्ण	पी	35-49 (थ्योरी)	5
			40-49 (प्रैक्टिकल)	
(vii)	अनुतीर्ण	एफ	असफल	2
			34 या उससे कम (थ्योरी)	
			39 या उससे कम (प्रैक्टिकल)	
(viii)	अनुपस्थित	एबी	अनुपस्थित	-

- (ii) सेमेस्टर ग्रेड औसत ग्रेड अंक और संचयी औसत ग्रेड अंक की गणना उपाबद्ध–I में विर्निदिष्ट तरीके से की जाएगी।
- 18. पुन:परीक्षा.—(1) कोई छात्र एक विषय में पुन: परीक्षा देने का पात्र होगा यदि उस छात्र की उपस्थिति अपेक्षित उपस्थिति से कम हो अथवा वह विषय में अनुतीर्ण हो।
- (2) यदि किसी छात्र की 50 प्रतिशत विषयों में अनुपस्थिति के कारण, अनुत्तीर्ण होने के कारण या दोनों के कारण पुन: परीक्षा होती है तो उसे पुन: परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।
- (3) यदि किसी छात्र की 50 प्रतिशित विषयों में, उपस्थिति के कारण, अनुत्तीर्ण होने के कारण या दोनों के कारण पुन: परीक्षा होती है तो उसे जूनियर बैंच के साथ वर्ष की पुनरावृत्ति के लिए कहा जाएगा।
- (4) छात्र द्वारा पुन: परीक्षा में प्राप्तांकों को छात्र की असाइनमेंट या प्रस्तुतीकरण के प्राप्तांकों और मध्याविध परीक्षा भारांक और कुल प्राप्तांकों में जोड़ा जाएगा। इससे यह यह निर्धारित होगा कि छात्र पाठ्यक्रम या विषय में उत्तीर्ण हुआ है अथवा नहीं।
- 19. डिग्री प्रदान करना (1) ऐसे छात्र, जो यथा लागू सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हों, की संस्तुति आगामी दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान करने के लिए की जाएगी।
- (2) प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित तालिका के अनुसार अधिकतम अनुमत्य अविध के भीतर प्रत्येक सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ऐसा करने में असफल होने पर संबंधित छात्र को डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी और उसे 'अयोग्य' घोषित कर दिया जाएगा अर्थात् :-

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	अधिकतम अवधि
1	स्नातक डिग्री	चार साल	छः साल
2	स्नातकोत्तर डिग्री	दो साल	चार साल
3	पीएच.डी.	तीन साल	छः साल

- 20. निर्देशों और परीक्षा का माध्यम संस्थान के सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्देशों और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।
- 21. पदक और पुरस्कार .- संस्थान द्वारा मेधावी छात्रों को निम्नलिखित पुरस्कार और पदक दिए जाएंगे : -
- (i) प्रत्येक विभाग के टॉपर को रजत पदक दिया जाएगा;
- (ii) संपूर्ण कैम्पस के टॉपर को स्वर्ण पदक दिया जाएगा।

अरुण कुमार सिन्हा, प्रबंध निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./107/19]

उपाबद्ध -I

- क. सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की संगणना -
 - (i) एसजीपीए किसी छात्र द्वारा एक सेमेस्टर में लिए गए किसी छात्र द्वारा लिए गए पाठ्यक्रमों में हासिल किए गए ग्रेड प्वाइंट (पीआई) के साथ क्रेडिट (सीआई) की संख्या (सीआई) के उत्पाद के योगफल और एक सेमेस्टार में छात्र द्वारा पूरे किए गए सभी पाठ्यक्रमों के क्रेडिटों की संख्या (सीआई) के योगफल का अनुपात होगा,

जहां सीआई आइथ कोर्स के क्रेडिट की संख्या है और पीआई आईथ कोर्स में छात्र द्वारा अर्जित ग्रेड प्वाइंट है।

(ii) सीजीपीए की गणना भी किसी प्रोग्राम के सभी सेमेस्टरों में एक छात्र द्वारा पूरे किए गए सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से की जाएगी।

ΣCi

ΣCi

जहां सीआई उस सेमेस्टर में क्रेडिटों की कुल संख्या है और एसजीपीएआई आईथ सेमेस्टर में सेमेस्टर स्कोर है।

(iii) एसजीपीए और सीजीपीए 2 दशमलव अंकों तक पूर्णाकित किए जाएंगे एवं प्रतिलेखों में रिपोर्ट किए जाएंगे ।

(क) एसजीपीए की गणना का विवरण

	क्रेडिट	ग्रेड वर्ण	ग्रेड प्वाइंट	क्रेडिट प्वाइंट (क्रेडिट X ग्रेड प्वाइंट
				की संख्या)
कोर्स 1	4	ए	9	4X9 = 36
कोर्स 2	4	बी	8	4x8 = 32
कोर्स 3	3	सी	7	3x7 = 21
कोर्स 4	3	इ एक्स	10	3X10 = 30
कोर्स 5	2	डी	6	2x6 = 12
कोर्स 6	4	बी	8	4x8 = 32
	20			163

एसजीपीए = 163/20 = 8.15

(ख) सीजीपीए की संगणना का विवरण

सेमेस्टर 1	सेमेस्टर २	सेमेस्टर 3	सेमेस्टर 4	सेमेस्टर 5	सेमेस्टर 6
क्रेडिट-20	क्रेडिट-22	क्रेडिट-25	क्रेडिट-26	क्रेडिट-24	क्रेडिट-20
एसजीपीए-	एसजीपीए - 6.8	एसजीपीए -5.6	एसजीपीए -7	एसजीपीए -	एसजीपीए -
8.15				6.5	6.7

नियमित सीटों के लिए फीस संरचना

उपाबद्ध-II

क. स्नातक डिग्री प्रोग्राम:

क्र.सं.	विवरण	(पहला सेमेस्टर) नोएडा परिसर	(दूसरा-आठवां प्रत्येक सेमेस्टर) नोएडा परिसर	(पहला सेमेस्टर) अन्य परिसर	(दूसरा-आठवां प्रत्येक सेमेस्टर) अन्य परिसर
1	अध्यापन फीस (अप्रतिदेय)	रूपये 69000/-	रूपये 69,000/-	रूपये 49,000	रूपये 49,000
2	पुस्तकालय फीस (अप्रतिदेय)	रूपये 5,000/-	रूपये 5,000/-	रूपये 5,000/-	रूपये 5,000/-
3	मेडिक्लेम (अप्रतिदेय)	रूपये 400/-	रूपये 400/-	रूपये 400/-	रूपये 400/-
4	परीक्षा फीस (अप्रतिदेय)	रूपये 2,000/-	रूपये 2,000/-	रूपये 2,000/-	रूपये 2,000/-
	कुल	रूपये 76,400/-	रूपये 76,400/-	रूपये 56,400/-	रूपये 56,400/-
5	छात्र विकास फीस (अप्रतिदेय)	रूपये 5,000/-	-	रूपये 5,000/-	-
6	प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय)	रूपये 10,000/-	-	रूपये 10,000/-	
	कुल योग	रूपये 91,400/-	रूपये 76,400/-	रूपये 71,400/-	रूपये 56,400/-

ख. मास्टर डिग्री प्रोग्राम

क्र.सं.	विवरण	(पहला सेमेस्टर) नोएडा परिसर	(दूसरा-आठवां प्रत्येक सेमेस्टर) नोएडा परिसर	(पहला सेमेस्टर) अन्य परिसर	(दूसरा-आठवां प्रत्येक सेमेस्टर) अन्य परिसर
1	अध्यापन फीस (अप्रतिदेय)	रूपये 84,000/-	रूपये 84,000/-	रूपये 64,000	रूपये 64,000
2	पुस्तकालय फीस (अप्रतिदेय)	रूपये 5,000/-	रूपये 5,000/-	रूपये 5,000/-	रूपये 5,000/-
3	मेडिक्लेम (अप्रतिदेय)	रूपये 400/-	रूपये 400/-	रूपये 400/-	रूपये 400/-
4	परीक्षा फीस (अप्रतिदेय)	रूपये 2,000/-	रूपये 2,000/-	रूपये 2,000/-	रूपये 2,000/-
	कुल	रूपये 91,400/-	रूपये 91400/-	रूपये 71,400/-	रूपये 71,400/-
5	छात्र विकास फीस (अप्रतिदेय)	रूपये 5,000/-	-	रूपये 5,000/-	-
6	प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय)	रूपये 10,000/-	-	रूपये 10,000/-	-
	कुल योग	रूपये 1,06,400/-	रूपये 91,400/-	रूपये 86,400/-	रूपये 71,400/-

(ग) अनिवासी भारतीय या भारतीय उद्योग प्रायोजित सीटों के लिए फीस संरचना :

अनिवासी भारतीय या भारतीय उद्योग प्रायोजित उम्मीदवारों से नोएडा परिसर में नियमित सीट के मामले में लागू सामान्य शुल्क का दोगुना और दूसरे परिसरों में नियमित सीट के मामले में सामान्य शुल्क के अतिरिक्त 50 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT INSTITUTE ORDINANCE

New Delhi, the 21st June, 2019

- **F. No. FDDI/HO/MDO/CoP(DP)/2019/044.**—In exercise of the powers conferred by section 29 read with section 28 of the Footwear Design and Development Act 2017 (20 of 2017), the Senate makes the following ordinances for the Footwear Design and Development Institute, namely:—
- **1. Short title, application and commencement.**—(1)These Ordinances may be called the Footwear Design and Development Institute Ordinances, 2019.
- (2) They shall apply to the Footwear Design and Development Institute and its campuses.
- (3) They shall come in to force from the date of their publication in the official Gazette.
- **2. Definitions.** (1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Footwear Design and Development Institute Act, 2017(20 of 2017);
 - (b) "academic" means the activities concerned with teaching, studies, practices and research;
 - (c) "academic calendar" includes dates for various academic activities;
 - (d) "academic manual" means the compilation of rules and regulations in academic matters;
 - (e) "academic programme" includes the sequence of academic activities leading to award of a degree, a diploma or a certificate;
 - (f) "academic year" means two regular semesters along with a summer break;
 - (g) "annexure" means the annexure appended to these ordinances;
 - (h) "candidate" means an individual who applies for admission to any post-doctoral, doctoral, post-graduate, graduate, diploma or certificate programmes of the Institute;
 - (i) "certificate" means any academic programme offered by the Institute up to one year duration;
 - (j) "convocation" means the convocation of the Institute;
 - (k) "course" includes a sequence of topics which can be covered during a semester;
 - (1) "curriculum of a programme" means a specified set of courses and other academic activities;
 - (m) "degree" means the Doctor of Philosophy, Master of Design, Master of Business Administration, Bachelor of Design, Bachelor of Business Administration, Diploma or a Certificate awarded by the Institute;
 - (n) "elective" means the subject offered amongst options in specialised field;
 - (o) "examination" means procedure used to evaluate the academic performance of a student;
 - (p) "grade" means the grade indicating the overall performance of a student in a programme or semester;
 - (q) "Institute" means the Footwear Design and Development Institute;
 - (r) "jury" means a panel of faculty members and external experts for evaluation of performance of students during and at the end of semester as per the requirement of the course;
 - (s) "statutes" means the Statutes of the Institute;
 - (t) "student" means a student registered for any academic programme for full-time or part-time study leading to award of degree, diploma or certificate at the Institute, as the case may be;
 - (2) Words and expressions used and not defined in these Ordinances but defined in the Act or the Statutes shall have the same meanings, as respectively, assigned to them in the Act or the Statutes.
- **3.** Academic Programme.—The Institute shall offer various academic programmes leading to the award of -
 - (a) Degree; or

- (b) Diploma; or
- (c) Certificate

in various Schools as specified under Statute 14.

- **4. Duration of Programmes.**—(1) The Doctoral programme shall be for a minimum duration of three years and a maximum duration of six years.
 - (2) The duration of a Master's programmes shall be two years.
 - (3) The duration of a Bachelor's programmes shall be four years.
 - (4) The duration of a Certificate programmes shall be up to one year.
- **5.** Admission of the students to the Institute.— (1) Eligibility for admission to Bachelor's Programmes shall be as under, namely.—
- (A) A candidate who has passed,-
- (a) 10+2, in any stream, from any recognised Board; or
- (b) any School or Board or University examination in India or in foreign country recognised by the Association of Indian Universities as equivalent to 10+2 system; or
- (c) School Examination conducted by the National Open School with a minimum of five subjects; or
- (d) All India Council for Technical Education (AICTE) approved three-year full time Diploma after Class X offered by Board of Technical Education of any State or Union territory; or
- (B) A candidate, who has appeared for any examinations under clause (A), and whose result has not been declared at the time of admission, shall be eligible to apply for admission to the Bachelor's Programmes and such candidate, if selected, shall be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the requisite examination on or before the 30th day of September of the respective year, failing which the candidate's admission may be cancelled.
- (C) The age-limit for the Bachelor's program shall be twenty-five years as on the 1st July of the academic year in which the admission is being sought.
- (2) Eligibility for admission to Master's Programmes.—
- A. (a) Master of Design (Footwear Design and Production).—A Bachelor's degree in Footwear or Leather Goods and Accessories Design or Design or Engineering or Production or Technology.
- (b) Master of Design (Computer-Aided Design).—A Bachelor's degree in Footwear or Leather Goods and Accessories Design or Design or Engineering or Production or Technology or Fine Arts.
- (c) Master of Business Administration (Retail and Fashion Merchandise).- A Bachelor's degree in any discipline.
- B. A candidate, who has appeared in any examination for any of the degree referred to under clause (A) and whose result has not been declared at the time of admission, shall be eligible to apply for admission to the Master's Programmes and such candidate, if selected, shall be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the requisite examination on or before the 30th day of September of the respective year, failing which the candidate's admission may be cancelled.
- (3) Eligibility for admission to Doctoral Programme (Doctor of Philosophy) (Ph.D.).—
- A. (a) Candidates with Post Graduate Diploma which is equivalent to Masters Degree from any recognised institute or university shall be eligible for admission to Ph.D programme:

Provided that the equivalence of the degree should be recognised from Association of Indian Universities or any other statutory body; or

- Master's Degree in the relevant area from any recognised institute or university with minimum seven years of education after Secondary (Class X), last of which was the Master's degree or above.
- (b) A minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 6.0 on a 10 point scale (5.5 for Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates) wherever letter grades are awarded; or 55% (50% for Scheduled

Caste or Scheduled Tribe candidates) marks in aggregate (of all the years or semesters) where marks are awarded in the Master's degree.

- B. A candidate who is employed, besides fulfilling the above eligibility criteria, shall be required to submit "No Objection" certificate from his/her current employer.
- C. A candidate, who has appeared in any examination for any of the said degree referred to under clause (A) and whose results has not been declared at the time of admission, shall be eligible to apply for admission to the Doctoral Programme and such candidate, if selected, shall be granted provisional admission and shall be required to submit the requisite result of the examination on or before the 30th day of September of the respective year, failing which the candidate's admission may be cancelled.
- (4) Eligibility for Admission to Certificate Courses.-
- (A) Supervisory courses:

A candidate who has passed,-

- (a) 10+2, in any stream, from any recognized Board; or
- (b) any School or Board or University examination in India or in foreign country recognised by the Association of Indian Universities as equivalent to 10+2 system; or
- (c) School Examination conducted by the National Open School with a minimum of five subjects;
- (B) Executive Development Programme:-
 - (a) A candidate who has done graduation in any stream from a recognized University; and
 - (b) shall have one year industrial experience in the related field.
- **6.** Admission Process.—(i) Admission to all programs of the Institute shall be given wide publicity in print, and other media, including the website of the Institute.
 - (ii) Admissions to Bachelor's Degree and Master's Degree program shall be on the basis of merit through a national level admission test conducted by the Institute or any agency authorised by the Institute.
 - (iii) The admissions to Doctor of Philosophy shall be based on the national level selection by the institute through test or interview.
 - (iv) The admissions to the Certificate programme shall be on first come first serve basis.
- **7. Reservation of seats in Admission.**—(1) Reservation in admissions including for those belonging to the person with disability (PWD) category (**Divyangjan**) shall be governed by the relevant guidelines or instructions issued by the Central Government from time to time.
- (2) Candidates applying under PWD quota shall be required to produce a disability certificate from the authority competent to issue such certificate.
- (3) A programme shall be allotted to the candidates after assessing the suitability of the disabled candidates for a particular programme as per the specific physical and intellectual requirement of the particular programme.
- (4) The disability shall be assessed by a committee and programme allocation shall be done thereafter.
- (5) The assessment shall be compulsory for all candidates seeking reservation under the disabled category.
- (6) The Institute may disqualify a candidate in case of non-suitability for a particular programme.
- (7) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years for admission.
- **8.** Admission to Non Resident Indian or Indian Industry Sponsored Students.— (1) In addition to the seats announced in an academic year, ten per cent of the seats announced in each academic programme shall be available to Non Resident Indian candidates and Indian Industry sponsored candidates.
- (2) Seats remaining vacant under this category in an academic year shall not be filled from any other category of candidates and shall remain vacant for the session.
- (3) The candidates seeking admission under this sponsored category shall be required to go through a screening test and shall be given admission upon successfully qualifying the same.

- (4) The allotment of programme and campus to such sponsored candidates shall be on first come first serve basis.
- (5) The fee shall be charged from the sponsored candidate as per annexure—II.
- **9.** Admission to Government Sponsored Students.—(1) In addition to the seats announced in an academic year, ten percent of the seats announced in each academic programme shall be available to Government (State or Centre) sponsored candidates.
- (2) In any academic year, if all regular seats available in an academic programme are not filled and Government wishes to sponsor candidates against those regular vacant seats, the Institute may offer admission to such Government sponsored candidates.
- (3) Seats remaining vacant in this category in an academic year shall not be filled from any other category of candidates and shall remain vacant for the session.
- (4) The allotment of programme and campus to such sponsored candidates shall be on first come first serve basis.
- (5) The fee shall be charged from the sponsored candidate as per fee for regular seats as specified in annexure II.
- **10**. **Enrolment of students in academic programmes.** (1) Every student offered admission to a programme at the Institute shall within sixty days of commencement of the programme, submit to the admission department, such academic certificates and documents as may be required, failing which their candidature may be cancelled:

Provided that in exceptional circumstance, on a written request from the student or his parent stating the reasons for the delay, the said duration may be extended for seven days by the concerned Executive Director on case to case basis.

- (2) Every student offered admission shall be required to pay the fees on the spot to reserve his seat and the amount so paid shall be adjusted against the fees due from the student.
- (3) The student shall pay the tuition and other fees and deposits as approved by the Governing Council and as specified by the Institute, within ten days from the date of reserving his seat or before the commencement of the programme whichever is earlier, failing which their candidature may be cancelled.
- (4) Upon payment of fees and deposits and verification of all mandatory documents, the Institute shall provide an enrolment number to the student.
- (5) The Enrolment Number shall be the permanent reference number in all records of the Institute pertaining to the student concerned.
- 11. Tuition and Other Fees and Deposits.—(1) The tuition fees, other fees and deposits, as applicable shall be charged from the student.
- (2) The fee shall be paid in full before commencement of the semester.
- (3) In exceptional circumstances, extension of time for payment of fees may be granted by the Executive Director of the respective Institute Campus on case to case basis.
- (4) The students shall not be allowed to join the programme, if fees are not paid, before commencement of semester or by such date as may be approved by the Executive Director concerned.
- (5) The Semester fees once deposited shall not be refunded.
- (6) The fee shall be charged from the candidate as per annexure II.
- (7) All deposits or payment of fees shall be made by Demand Draft or on-line transfer in favour of the Footwear Design and Development Institute payable at the allotted campus.
- (8) A Student who leaves the Institute mid-course or who is asked to leave the Institute for any reason, shall not be entitled to refund of fees, except the amount of the refundable security deposit.

- **12**. **Attendance, Absence and Leave for the Students.**—(1) A roll call in beginning of each class shall be taken in order to maintain the attendance record of a particular programme in every scheduled lecture, tutorial, practical class.
- (2) A student enrolled in an academic programme shall be required to attend all scheduled lecture, tutorial, practical class.
- (3) To be eligible for appearing in the semester examination, a student shall maintain minimum 70 per cent attendance in each course or subject:

Provided that the Executive Director concerned may grant relaxation up to 10 per cent in maximum of 20 per cent of the course or subject in a particular semester.

- (4) The Executive Director is to grant relaxation under clause (3) after recording reasons in writing on case-to-case basis and only for cases of emergency or exigencies beyond the control of the student.
- (5) A student shall have no right to claim the relaxation in the attendance.
- (6) Any student who is not able to meet the minimum attendance as per the provisions of this Ordinance with or without relaxation shall not be allowed to appear for the end semester examinations in the course or subject in which there is a shortfall.
- (7) A student may be allowed to appear for the re-do examination scheduled after the completion of any semester of the particular academic year in any courses or subject as per the provision of Ordinance 18:

Provided that a student having shortfall in attendance in more than 50 per cent of the subject with or without relaxation in a particular semester shall be asked to repeat the year with the junior batch without any opportunity of any re-do examination.

(8)(i) Leave.—A student may avail leave for exigencies and other commitments and the same shall be approved as per the table given below, namely:-

Sl. No.	Leave availed by student	Competent authority	Remarks
1.	≤15 days	Head of Department	With prior intimation only
2.	>15 days	Executive Director	With prior intimation only

- (ii) Leave caution.—A student or parent of such student who is falling short of required attendance shall be informed by e-mail, phone or any such other mode of communication from time to time by the concerned course coordinator or head of the department.
- (iii) Unauthorised absence i.e. any absence without information or permission.— A student absenting himself without any authorised permission shall be liable for disciplinary action as per the rules of the Institute and any unauthorised absence of a student for more than two weeks due to any cause may lead to student being debarred from the concerned semester or course.
- 13. Student Discipline.—(1) A student is expected to maintain discipline at all times;
 - (2) The following acts of omission or commission shall constitute an act of indiscipline, namely:-
 - (a) Damage or defacement or vandalisation to the Institute property caused intentionally or recklessly.
 - (b) Improper interference with the academic, administrative, sporting, social or other activities of the Institute inside the institute premises.
 - (c) Violent, indecent, disorderly, threatening or offensive behavior or language whilst on campus or while being engaged in any activity related to the Institute.
 - (d) Indulging in fraud, deceit, deception or dishonesty in relation to the Institute or in any engagement activity relating to the Institute.
 - (e) Any unauthorized use of mobile phone and such other electronic gadget inside the class room or examination hall:
 - Provided that any electronic device, including mobile phone, may be used for academic purpose as authorized by the faculty.
 - (f) Any form of ragging or violating the code of conduct and indulging in ragging.

- (g) Smoking, chewing tobacco, beetle (pan), gutkha use of drugs, narcotics or any such products in the premises of the Institute.
- (h) Plagiarism, copying and cheating in any manner in the examination.
- (3) (a) A Disciplinary Committee shall be constituted by the Executive Director of the respective campus and any case in respect of a student shall be forwarded to the Disciplinary Committee to make recommendation for the award of penalty.
- (b) On the basis of recommendation of the Disciplinary Committee the Head of the Department may impose minor penalty and any student aggrieved with the said imposition of penalty may prefer an appeal against such penalty before Executive Director.
- (c) Notwithstanding anything contained in clause (b), on the basis of recommendation of the Disciplinary Committee the Executive Director may impose both major or minor penalty and any student aggrieved with the said imposition of penalty may prefer an appeal before the Managing Director.
- (4) Minor Penalty.-(a) Fine up to five thousand rupees for violation of any student discipline.
 - (b) Recovery of the cost of any damage in relation to any property lost or damaged or any expenditure incurred on medical expenses in case of a scuffle.
 - (c) Censure or Warning A non-recordable warning for the first offence and repeated offence shall attract recordable warning and may also invite action under major penalty.
- (5) Major Penalty.- (a) Expulsion from the Institute.
 - (b) Suspension for a specified period.
 - (c) Debarment from appearing in end semester examination.
 - (d) Withdrawal of placement services.
 - (e) Repeating the course again with the junior batch.
- **14**. **Academic Calendar.** The Office of Head (Academics) of the Institute shall prepare and finalise the academic calendar of all academic programmes at all campuses at the start of each semester and the same shall be placed before the Senate for approval.
- **15**. **Maintenance of Student Records.**—(1)The Training and Examination Department of the Institute campus shall maintain a personal file of every student admitted to the academic programmes at the respective campuses and such personal information shall be kept confidential.
 - (2) The personal file referred to in clause (1) shall contain –
 - (i) personal data filled by the student at the time of admission;
 - (ii) information about parents and local guardian;
 - (iii) medical history and fitness certificate submitted at the time of admission;
 - (iv) all undertakings submitted by the student;
 - (v) copy of any warning letters or memos etc. issued to the student;
 - (vi) communication with the student or parent or guardian, if any;
 - (vii) copy of all evaluation grade sheets and academic progress reports issued to the student;
 - (viii) record of admission to the hostel including payment of fees;
 - (ix) record of payment of fees of Institute; and
 - (x) all such other information relevant to the study and campus life of the student.
- **16. Examination and Evaluation.**—(1) An Examination shall include any test or evaluation method used during a semester of study.
- (2) The criteria for assessment of students shall be through continuous evaluation, mid-semester examination, end-semester examination, *viva voce*, practical, assignments, juries, skill test, presentations or any other summative mode.
- (3) The examination shall apply to all programmes leading to award of a degree.

- (4) The Controller of Examination at the Institute shall be responsible for the overall conduct of examinations in all the Institute campuses.
- (5) The Deputy Controller of Examination at the Institute campuses, shall be responsible for the conduct of examinations in their respective Institute campuses under the overall supervision of the Executive Director concerned
- (6) The Controller of examination or the Deputy Controller of Examination shall appoint invigilators and make necessary arrangements for conduct of examination in consultation with Executive Directors of the concerned Institute Campuses.
- (7) The Controller of Examinations shall publish the results of the various examinations.
- (8) Assessment Methodology.-The assessment of a student in a particular course or subject shall be done based on his weighted performance evaluated in the assessments or examinations in the following manner, namely:-

(A)

Sl. No. Assessment Parameter		Weightage for Theory in per centage
(a)	Assignment or Presentations	20
(b)	Mid-Term Examination	20
(c)	End Term Examination	60

(B)

Sl. No.	Assessment Parameter	Weightage for Practical in per centage
(a)	In-Lab Assessment	60
(b)	Final Assessment or Viva-Voce	40

- (9) In order to be eligible for award of a degree, a student need to pass in each subject and has to obtain minimum cumulative grade point average of 6.
- (10) A student who is not able to pass a course or subject as per the criteria specified under this Ordinance may be required to appear in the re-do examination.
- (11) Rectification of Results,-The Executive Director may recall the result of a candidate if,-
 - (i) the student is disqualified for using unfair means in the semester examination and in such case the student shall be asked to appear for the re-do examination;
 - (ii) the student is disqualified for using unfair means in the re-do examination and in such case the student shall be asked to repeat the academic year;
 - (iii) an error is detected in the student's result and in such case the error shall be rectified and result shall be declared accordingly.
 - (iv) if re-evaluation is sought by a student or guardian through an application in writing submitted within fifteen days of declaration of the result, in such case, the Executive Director shall cause the re-evaluation to be done within fifteen days and declare the result accordingly.
 - (v) a student shall be allowed to seek re-evaluation of a particular examination only once.
- (12) **Issue of Mark Sheet**.-(1) The Institute shall issue mark-sheet to all the students.
 - (2) The semester-wise mark-sheet shall be issued to the student, in paper or digital format, from the respective campus.
 - (3) The consolidated statement of marks shall be issued to the students from the Head Office after completion of the programme.
- 17. Promotion.—(1) The promotion of a student for semester or year shall be as follows, namely:-
- (a) to get a promotion to the next year, a student shall be required to pass in all course or subject in that particular academic year.
- (b) Any student having re-do in more than 50 per cent of the subjects in any semester, whether on account of failure in obtaining the requisite pass marks or on account of shortfall in attendance or both, shall be required to repeat the year with the junior batch in the next academic year.

(c)(i) Based on the overall marks obtained by a student in the subject as allocated during the entire academic program, the student shall be awarded Grades in the following manner, namely:-

Sl. No.	Grades	Abbreviation	Marks Range	Grade Point
(i)	Excellent	Ex	90-100	10
(ii)	VERY	A	80-89	9
	GOOD			
(iii)	GOOD	В	70-79	8
(iv)	FAIR	С	60-69	7
(v)	AVERAGE	D	50 – 59	6
(vi)	PASS	P	35-49 (Theory)	5
			40-49 (Practical)	
(vii)	FAIL	F	Fail	2
			34 or less (Theory)	
			39 or less (Practical)	
(viii)	ABSENT	AB	Absent	-

- (ii) The calculation of semester grade point average and cumulative grade point average shall be done in the manner as specified in the annexure I.
- **18. Re-do Examination.**—(1) A student may be eligible to take re-do examination in a subject in which the student has either less attendance than the requisite attendance or has failed in the subject.
 - (2) A student who has re-do in up to 50 per cent of the subject, either on account of attendance or failure or both, shall be allowed to appear for the re-do Examination.
 - (3) A student having re-do in more than 50 per cent subjects on account of attendance or failure shall be asked to repeat the year with the junior batch.
 - (4) The marks scored by a student in the re-do examination shall be added to the marks scored by the student in the assignment or presentation score and mid-terms examination score and the total marks so scored shall determine whether a student has passed the course or subject or not.
- **19. Award of Degrees.**—(1) A student, who has completed all the requirements as applicable, shall be recommended for the award of the degree in the ensuing Convocation.
- (2) It shall be mandatory for every student to clear all subjects of each semester within the maximum duration allowed as per the table below failing which the degree shall not be awarded to concerned students and he shall be declared as "Not Fit", namely:-

Sl. No.	Programme	Programme Duration	Maximum Duration
1	Bachelor Degree	Four Years	Six Years
2	Master Degree	Two Years	Four Years
3	Ph.D.	Three Years	Six Years

- **20. Medium of Instruction and of Examination.**—The medium of instruction and of examination of all academic programs of the Institute shall be English.
- **21**. **Medals and prizes.** The institute shall award following prizes and medals to meritorious students, namely:-
 - (i) Every Department Topper shall be awarded Silver medal;
 - (ii) Over all Topper of the campus shall be awarded Gold medal.

ARUN KUMAR SINHA, Managing Director [ADVT.-III/4/Exty./107/19]

ANNEXURE - I

- A. Computation of Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) -
- (i) The SGPA shall be the ratio of sum of the product of the number of credits (Ci) with the grade points (Pi) scored by a student in all the courses taken by a student in a semester and the sum of the number of credits (Ci) of all the courses undergone by a student in a semester,

i.e. SGPA(Si) =
$$\sum$$
(Ci x Pi)
 \sum Ci

where Ci is the number of credits of the ith course and Pi is the grade point scored by the student in the ith course.

(ii) The CGPA shall also be calculated in the same manner taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme,

i.e.
$$CGPA = \sum (Ci \times SGPAi)$$

$$\frac{}{\sum Ci}$$

Where Ci is the total number of credits in that semester and SGPAi is the semester score in the ith Semester.

(iii) The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the transcripts.

(a) Illustration of computation of SGPA

	Credit	Grade letter	Grade point	Credit Point (No of Credits x Grade Point)
Course 1	4	A	9	4x9=36
Course 2	4	В	8	4X8=32
Course 3	3	С	7	3X7=21
Course 4	3	EX	10	3X10=30
Course 5	2	D	6	2x6=12
Course 6	4	В	8	4X8=32
	20			163

SGPA= 163/20 =8.15

(b) Illustration of computation of CGPA

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6
Credits-20	Credits-22	Credits-25	Credits-26	Credits-24	Credits-20
SGPA-8.15	SGPA- 6.8	SGPA-5.6	SGPA-7	SGPA- 6.5	SGPA- 6.7

Annexure - II

Fee Structure for Regular seats

A. Bachelor Degree Programmes:

Sl. No.	Particulars	(1st Semester) Noida Campus	(2 nd -8 th Each Semester) Noida Campus	(1 st Semester) Other Campuses	(2 nd -8 th Each Semester) Other Campuses
1.	Tuition fee (Non Refundable)	Rs. 69000/-	Rs. 69,000/-	Rs. 49,000	Rs. 49,000
2.	Library fee (Non Refundable)	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-
3.	Mediclaim (Non Refundable)	Rs. 400/-	Rs. 400/-	Rs. 400/-	Rs. 400/-
4.	Exam fee (Non Refundable)	Rs. 2,000/-	Rs. 2,000/-	Rs. 2,000/-	Rs. 2,000/-
	Total	Rs. 76,400/-	Rs. 76,400/-	Rs. 56,400/-	Rs. 56,400/-
5	Student Development fee (Non Refundable)	Rs. 5,000/-	-	Rs. 5,000/-	-
6	Security Deposit (Refundable)	Rs. 10,000/-	-	Rs. 10,000/-	-
	Grand Total	Rs. 91,400/-	Rs. 76,400/-	Rs. 71,400/-	Rs. 56,400/-

B. Master Degree Programme:

Sl. No.	Particulars	(1 st Semester) Noida	(2 nd -4 th Each Semester) Noida	(1 st Semester) All other campuses	(2 nd -4 th Each Semester) All other campuses
1	Tuition fee (Non Refundable)	Rs. 84,000/-	Rs. 84,000/-	Rs. 64,000	Rs. 64,000
2	Library fee (Non Refundable)	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-
3	Mediclaim (Non Refundable)	Rs. 400/-	Rs. 400/-	Rs. 400/-	Rs. 400/-
4	Exam fee (Non Refundable)	Rs. 2,000/-	Rs. 2,000/-	Rs. 2,000/-	Rs. 2,000/-
	Total	Rs. 91,400/-	Rs. 91400/-	Rs.71,400/-	Rs. 71,400/-
5	Student Development fee(Non Refundable)	Rs. 5,000/-	-	Rs. 5,000/-	-
6	Security Deposit (Refundable)	Rs. 10,000/-	-	Rs.10,000/-	-
	Grand Total	Rs. 1,06,400/-	Rs. 91,400/-	Rs. 86,400/-	Rs. 71,400/-

C. Fee Structure for Non Resident Indian or Indian Industry Sponsored Seats:-

Non Resident Indian or Indian Industry sponsored candidates are required to pay twice the normal fee as applicable in case of regular seat at Noida campus and 50 per cent extra fee as applicable in case of regular seat at other campuses in addition to the normal fee.